पंचायत निगरानी संख्या : 230/2024
उनवान : मनरुपचंद व अन्य बनाम हरीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 230/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/259

प्रार्थी :–

1. मनरुपचंद पुत्र चतुर्भुजजी
2. ओमप्रकाश पुत्र चतुभुर्जजी
3. पुरुषोतम पुत्र चतुर्भुजजी
   जातिगण गर्ग, निवासीगण,
   सिंदरली तहसील देसूरी जिला
   पाली राज.
4. गीता पुत्री चतुर्भुजजी पत्नी
   ओगडमलजी जाति गर्ग
   निवासी आना तहसील देसूरी
   जिला पाली राज.
5. सुशीला पुत्री चतुर्भुजजी पत्नी
   हस्तीमल जाति गर्ग निवासी
   मेवी तहसील देसूरी जिला
   पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. हरीलाल पुत्र शंकरलाल
   जाति गर्ग निवासी सिंदरली
   तहसील देसूरी जिला पाली
   राज.
2. ग्राम पंचायत सिंदरली, जरिये
   सरपंच महोदय, तहसील
   देसूरी जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत विरुद्ध आदेश दिनांक 30.04.1972 जिसे मिसल संख्या 13/1972–73 में पारित किया गया।

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री कमल श्रीमाली उपस्थित
अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल गर्ग उपस्थित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णयः–

दिनांकः 30.05.2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत आदेश दिनांक 30.04.1972 जिसे मिसल संख्या 13/1972–73 में पारित कर जारी पट्टे के विरुद्ध पेश की गई।

पत्रावली राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, पाली के पत्रांक/कोर्ट/ 2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 230/2024
उनवान : मनरुपचंद व अन्य बनाम हरीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित किया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कमल श्रीमाली एवं अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल गर्ग ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत से प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

1. प्रस्तुत पंचायत निगरानी याचिका अनुसार प्रार्थीगण के पुश्तैनी मकान मय भूखण्ड ग्राम सिन्दरली में निम्न पडौस के स्थित हैः—

उत्तर— रास्ता, भुजा 120 फीट

दक्षिण — रास्ता भुजा 120 फीट

पूर्व— नारायणजी गर्ग का मकान, भुजा 130 फीट

पश्चिम— रास्ता, भुजा 130 फीट

उपरोक्त पडौस व नाप का परिसर प्रार्थीगण के पिता चतुभुर्जजी का आधिपत्य सुदा मालिकाना था। इस कारण उपरोक्त परिसर का पट्टा प्रार्थीगण के पिता के नाम बनाये जाने हेतु एक आवेदन ग्राम पंचायत में प्रार्थीगण के पिता द्वारा पेश किया गया था। जिस पर मिसल दिनांक 30.03.1972 को दर्ज की गई थी।

2. यह कि, मिसल में अग्रिम आदेशिका द्वारा आपत्ति पत्र छाया करने और मौका देखने के लिए तीन पंचों की नियुक्ति की गई थी। तत्पश्चात जैर निगरानी आदेश द्वारा प्रार्थीगण के पिता का नाम पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया था।
3. यह कि, प्रार्थीगण के पिता अनपढ थे, नाममात्र के साक्षर थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था, अधिकाशतः अंगुठा ही करते थे। अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण के पिता का छोटा भाई है एवं सन 1965 से ही सरकारी नौकरी में रहे है विभिन्न न्यायालयों में रीडर के पद पर भी नियुक्त रहे है। उपरोक्त निगरानी आदेश के तहत जारी मूल पट्टा भी ग्राम पंचायत से अप्रार्थी संख्या एक ने ही प्राप्त किया था, जो उसके पास ही है, पट्टे की फोटोप्रति भी प्रार्थीगण के पास नहीं है। प्रार्थी के पिता का वर्ष 2016 में देहांत हो गया था।
4. यह कि, हाल ही में अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रार्थीगण के विरुद्ध अन्य पट्टे को लेकर श्रीमान के न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 59/2021 दायर की, जिसके नोटिस प्रार्थीगण को प्राप्त हुए। उपरोक्त निगरानी संख्या 59/2021 में वर्णित तथ्यों से प्रार्थीगण को संदेह हुआ, क्योंकि उक्त निगरानी में वर्णित तथ्यों

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर वाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

अनुसार प्रार्थीगण ने उक्त परिसर में अपना हिस्सा होना बताया, जिस पर प्रार्थीगण की ओर से उपरोक्त जैर निगरानी मिसल संख्या 13 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की और पट्टे की प्रमाणित प्रति ग्राम पंचायत से प्राप्त नहीं हुई, जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक को कहा कि मूल सभी पट्टे आपके पास है इसलिए वो सभी प्रार्थीगण को देवे, लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने मूल पट्टे नहीं देकर के जैर निगरानी पट्टे की फोटोप्रति दे दी, जिसमें पट्टा नम्बर भी स्पष्ट अंकित नहीं है, एवं पंचायत से भी पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण जो प्रति अप्रार्थी संख्या एक से प्राप्त हुई है उसे ही निगरानी के साथ पेश की जा रही है। उक्त पट्टे में प्रार्थीगण के पिता के नाम के बाद में 1/2 दर्ज कर हरिलाल पुत्र शंकर गर्ग 1/2 अवैध रुप से कुटरचना कर दर्ज किया गया। मूल पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के पास ही शुरु से ही रहा है, इस कारण मूल पट्टे में अप्रार्थी संख्या एक ने स्वयं के लिये सदोष लाभ प्राप्त करने और प्रार्थीगण को सदोष हानि कारित करने के उदेश्य से मूल्यवान प्रतिभूति पट्टे में कूटरचना कर प्रार्थीगण के साथ छल कपट करते हुए धोखाधडी की है। और उसे असल के रुप में उपयोग मे लाकर निगरानी संख्या 56/2021 में तथ्य दर्ज किये है।

5. यह कि, जैर निगरानी मिसल में आवेदन प्रार्थीगण के पिता द्वारा दिया गया था, जो आवेदन से स्पष्ट है, लेकिन आवेदन में प्रार्थीगण के पिता का नाम के आगे लाईन खींचकर कूटरचना करते हुए हरिलाल दर्ज कर दिया, जो स्पष्ट रुप से कूटरचना है, क्योंकि वास्तव में हरीलाल का नाम आवेदन में दर्ज होता है तो हरिलाल छोटा भाई है, इसलिए उसका नाम चतुर्भुज के बाद में लिखा जाता।

6. यह कि पंचों द्वारा निरीक्षण प्रपत्र मिसल में लगा हुआ है, जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम ही दर्ज है, अप्रार्थी संख्या एक का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन इसी मिसल में अप्रार्थी संख्या एक ने कूटरचना कारित करते हुए इसी तरह का एक अन्य प्रपत्र मिसल में शामिल करवा दिया, जिसमें केवल अप्रार्थी संख्या एक हरीलाल का नाम दर्ज है और नीचे दो व्यक्तियों के स्वयं के द्वारा फर्जी अगूठे किये गये है। एक मिसल में आवेदन निरीक्षण का प्रपत्र एक ही होता है, इस कारण से भी अप्रार्थी संख्या एक द्वारा की गई कूटरचना स्पष्ट साबित व प्रमाणित है।

7. यह कि, मिसल में जो नक्शा बनाकर पेश किया गया है, उस पर भी हस्ताक्षर केवल प्रार्थीगण के पिता के ही है, लेकिन उपर दरखास्त देहन्दा में चतुर्भज के आगे कूटरचना करते हुए हरिलाल दर्ज किया है, जो मिसल को देखने से स्पष्ट प्रकट व साबित है। इसी तरह आपत्ति आह्वान पत्र में भी प्रार्थीगण के पिता के नाम के आगे कूटरचना कर हरि दर्ज किया है, क्योंकि यहां पर पूरा नाम 'हरीलाल'

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

लिखने बाबत जगह नहीं थी, इसलिए केवल हरी लिख दिया, इससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा कूटरचना की गई। इसी आशय का मिसल में एक अन्य ओर आपत्ति आहवान् प्रपत्र संलग्न है, जिसमें केवल अप्रार्थी संख्या एक हरीलाल का नाम ही दर्ज है, प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज नहीं है, उस पर सरपंच के हस्ताक्षर भी नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त दूसरा हरीलाल के नाम का आपत्ति पत्र बाद में कूटरचना करते हुए मिसल में सलंग्न किया है।

8. यह कि, उपरोक्त मिसल में वर्णित परिसर की भूमि केवल और केवलमात्र चतुर्भुर्जजी के आधिपत्य सुदा थी, जिसमें उत्तर पश्चिम की तरफ प्रार्थी ओमप्रकाश और दक्षिण–पश्चिम की तरफ प्रार्थी पुरुषोत्तम का मकान और वीच में प्रार्थी मनरुप का मकान बने हुए है। तीनों ही मकानों में तीनो ही प्रार्थीगण का मय परिवार अलग अलग निवास है और तीनों ही मकानों के दरवाजे पूर्व व पश्चिम दोनों तरफ खुले हुए है। पूर्व तरफ की भूमि खुले परिसर व चौक के रुप में तीनों प्रार्थीगण के उपयोग हेतु रखी हुई है। वास्तव में उपरोक्त परिसर में आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या एक का होता, तो उक्त मकानों के पूर्वी तरफ के तीनों मकानों के दरवाजें पूर्व दिशा में नहीं खोले जाते। प्रार्थी मनरुप का मकान वर्ष 2000 में बना हुआ है। अन्य प्रार्थीगण के मकान भी काफी वर्षो पूर्व बने हुए है, ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे और मिसल इत्यादि में अप्रार्थी संख्या एक ने सरपंच व पंचायत कर्मचारियों से मिलावट करते हुए कूटरचना करते हुए स्वयं का नाम भी दर्ज करवा दिया और मूल पट्टा जो कि अप्रार्थी संख्या एक के पास ही है, उसमें भी कूटरचना करते हुए 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या एक का दर्ज कर दिया। अप्रार्थी संख्या एक का उपरोक्त परिसर में कभी भी किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं रहा है, न ही कभी किसी प्रकार का आधिपत्य रहा है।

9. यह कि, प्रार्थीगण के पिता अनपढ़ व्यक्ति थे और अप्रार्थी संख्या एक पढा लिखा था, इसलिए समस्त सरकारी दस्तावेज, पट्टे खेती की पासबुके अन्य महत्पपूर्ण दस्तावेज हमेशा से ही अप्रार्थी संख्या एक के पास ही रहे है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या एक सन् 1965 से ही सरकारी सेवा में रहा है। प्रार्थीगण के पिता को अप्रार्थी संख्या एक पर पूरा विश्वास था, इस कारण से पूर्व में कभी भी ज़ैर निगरानी पट्टे व अन्य पट्टो की मांग नहीं की। श्रीमान के न्यायालय में लम्बित निगरानी संख्या 59/2021 में वर्णित असल पट्टा भी अप्रार्थी संख्या एक के पास ही है, इसके अलावा अन्य परिसरों के पट्टे भी अप्रार्थी संख्या एक के पास ही है। प्रार्थीगण के पिता और अप्रार्थी संख्या एक के बीच बहुत घनिष्ठ प्रेम था, इसलिए कभी भी अविश्वास का कारण नहीं रहा। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यू के बाद भी प्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

का अप्रार्थी संख्या एक पर पूर्ण विश्वास रहा है, इस कारण से पूर्व में भी कभी दस्तावेजों की मांग नहीं की।

10. यह कि, उपरोक्तानुसार संपूर्ण मिसल एवं पट्टे मे अप्रार्थी संख्या एक द्वारा कूटरचना कर अपना नाम दर्ज किया है, जो अवैध है। संपूर्ण परिसर प्रार्थीगण का ही मालिकाना, आधिपत्य सुदा है, जिसमें प्रार्थीगण के उपर दर्ज अनुसार मकान बने हुए है एवं खाली परिसर में प्रार्थीगण के मकानो के दरवाजे खुले हुए है और खाली परिसर का उपयोग, उपभोग, उठने–बैठने आने–जाने, सामान रखने, पार्किंग इत्यादि में लिया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या एक का उपरोक्त परिसर की भूमि में एक इंच पर भी कभी किसी प्रकार का आधिपत्य नहीं रहा है।
11. यह कि वास्तव में परिसर दोनों भाई चतुर्भज एवं हरिलाल का शामलाती होता और दोनों के द्वारा पट्टा बनाने हेतु कार्यवाही की गई होती तो आदेशिका में केवल प्रार्थी शब्द नहीं आता, बल्कि प्रार्थीगण आता। इससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पूरी मिसल एवं पट्टे में कूटरचना करते हुए स्वयं का नाम दर्ज किया है जो अवैध है।
12. यह कि, तीनो प्रार्थीगण के मकानों में बिजली–पानी के कनेक्शन लिए हुए है जिसके बिलो की फोटोप्रतियां साथ पेश है, साथ ही मौके के फोटोग्राफस पेश किये जा रहे है प्रार्थीगण के मकानों में जाने हेतु मख्य गेट भी इसी खाली परिसर में दक्षिणी तरफ के रास्ते पर लगा हुआ है, जिसे ही तीनों प्रार्थीगण अपने मकानो में आते जाते है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि जैर निगरानी पट्टे व मिसल में कुटरचना कर जहां–जहां भी अप्रार्थी संख्या एक हरिलाल, हरी का नाम दर्ज किया गया है, उसे हटाया जाकर उपरोक्त परिसर का पट्टा प्रार्थीगण के नाम अथवा प्रार्थीगण के पिता के नाम से पुनः जारी करने बाबत् ग्राम पंचायत को आदेशित फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने निगरानी याचिका का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में उत्तर में जो रास्ता दर्शाया गया है वह वास्तव में पुराना कोई रास्ता नहीं था जबकि सीताराम की अपनी भूमि से छोडा गया रास्ता है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब यह है कि पद संख्या 01 में स्वयं प्रार्थीगण ने वादग्रस्त मकान मय भूखण्ड पुश्तैनी बताये है दुसरी तरफ उपरोक्त पद में चतुरभुज का दिखाने का असफल प्रयास किया है। पुश्तैनी का तात्पर्य एक पीढी निकलने का बाद का होता है। पट्टे का आवेदन, प्रार्थीगण के पिता एवं हरीलाल द्वारा संयुक्त रुप से करने से पत्रावली दर्ज हुई। पंचायत में पत्रावली के सरबरक पर दोनो ही नाम अंकित है, संभवतया पंचायत सचिव की भूल के कारण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पहले हरीलाल नाम लिखना भूल गया था एवं कालांतर में हरीलाल का नाम लिखा गया। हरीलाल द्वारा किसी प्रकार की हैराफेरी नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जवाब यह है कि चतुरभुज पढे लिखे व्यक्ति थे जो पंचाग के आधार पर मुहूर्त आदि देखने का कार्य करते थे।चतुरभूज द्वारा कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये है एवं कहीं पर अंगुष्ठ निशान किया है हरीलाल सरकारी नौकरी में अवश्य थे। इसी कारण ग्राम सिंदरली की खेती एवं रहवासीय मकान व विवादित प्लोट की देखरेख चतुरभुज ही करते थे एवं चतुरभुज दोनो का नाम लिखते हुए चतुरभुज ने अपने अगुष्ठ निशान किये। मिसल संख्या 13 के प्रार्थना पत्र की लिखावट किसके हाथ की है, इसका ज्ञान अप्रार्थी संख्या 01 को नहीं है। अप्रार्थी संख्या जब गांव सिंदरली आया हुआ था तब पट्टा स्वयं चतुरभुज ने मुझे सुपूर्द किया था। पट्टे की फोटोप्रति जो प्रार्थीगण द्वारा पेश की गई है। वह कहां से प्राप्त की गई उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चतुरभुज का देहान्त होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 का जवाब है कि निगरानी संख्या 69/2021 जो सिंदरली की आबादी में अप्रार्थी संख्या 01 एवं स्वर्गीय चतुरभुज का पुश्तैनी परिसर आया हुआ है एवं उक्त परिसर पुश्तैनी होना स्वयं प्रार्थीगण ने अपर जिला न्यायालय देसूरी के न्यायालय में विचाराधीन दिवानी मूल वाद संख्या 06/2022 में स्वीकार किया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 का आधा हिस्सा होना भी स्वीकार किया है। जहां तक अप्रार्थी द्वारा मूल पट्टे की फोटोप्रति देने का कथन किया है वह गलत है फोटोकॉपी पहले से ही प्रार्थीगण के पास उपलब्ध थी एवं मूल पटटा अप्रार्थी संख्या 01 को स्व. चतुरभुज द्वारा सौपा गया था। पट्टे की कार्यवाही हरीलाल की गैर मौजुदगी मे चतुरभुज द्वारा की गई थी, एवं उन्होंने ही प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं के नाम के साथ हरीलाल का नाम अंकित करवाया था। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार से प्रार्थीगण को सदोष हानि पहुँचाने एवं पट्टे की कूटरचना न तो की है, न ही धोखाधडी की है, न ही इसका प्रयास किया है। वस्तुतः स्वर्गीय चतुरभुजजी वृद्धावस्था में होने के कारण प्रार्थी ओमप्रकाश हावी रहा एवं राजनेता के रुप में कार्य करता रहा, इस कारण पुराना मकान जो आबादी में स्थित है उसमें 1/2 हिस्से में अप्रार्थी का मकान काफी वर्षो पूर्व निर्मित करवाया हुआ है उसको भी सम्मिलित करते हुए अकेले चर्तुभुज ने अपने पुत्र प्रार्थीगण के सिखावे में आकर पट्टा बना दिया गया। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 का जवाब यह है कि पट्टे का आवेदन स्वयं चतुर्भुज ने पेश किया एवं उनके द्वारा ही हरीलाल का नाम दर्ज करवाया गया, आपत्ति पत्र जारी करते समय चतुर्भुज उपस्थित होने से उनका अगुष्ठ निशान किया गया है। पत्रावली के साथ जो नक्शा पेश किया गया है उसमें हरीलाल व चतुर्भुज दोनो के नाम स्पष्ट प्रकार से दर्ज है किसी प्रकार की कांट छांट नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 का जवाब यह है कि उपरोक्त पद में प्रार्थीगण द्वारा सही तथ्यों को छिपाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी एवं चतुर्भुजजी के नाम से संयुक्त पत्रावली जो पेश

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

की गई उसमें दोनों के नाम दर्ज थे एवं विधिवत रुप से कार्यवाही करने के बाद पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.1973 को चतुर्भुज एवं हरीलाल के नाम जारी किया गया। चतुर्भुज ने अपने पुत्र ओमप्रकाश के सिखावे में आकर इसी भूमि के संबंध में एक पत्रावली चतुर्भुज ने अकेले पेश करना दर्शाया है निगरानी में उसके कोई क्रमांक आदि अंकित नहीं किये गये। पुराने पुश्तैनी परिसर का पट्टा भी प्रार्थीगण व चतुर्भुज ने हरीलाल अप्रार्थी के नाम बिजली पानी व मकान होने के बावजुद पट्टा बना दिया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कूटरचना नहीं की गई है। पंचों की नियुक्ति की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लिखी गई है जिसमें एक पंच का निशान अगुंष्ठ सचिव की गलती से नही लिखा गया। इसमें भी अप्रार्थी को गलत ठहराने का असफल प्रयास किया गया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 का जवाब यह है कि नक्शा चतुर्भुज जी द्वारा पेश किया गया उसमें हरीलाल का नाम दर्ज किया गया है नक्शें में नाम हरीलाल का इन्द्राज करवाया गया है वो चतुर्भुज द्वारा करवाया गया है जो स्पष्ट तौर पर प्रकट है एवं आपत्ति नोटिस भी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है इस कारण जो भाषा लिखी गई है ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा लिखी गई है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कूटरचना नहीं की गई है दूसरी पत्रावली का उल्लेख किया गया है उसकी अप्रार्थी को कोई जानकारी भी नहीं है क्योंकि सारी कार्यवाही चतुर्भुज द्वारा की जाती थी जो पैसा खर्च होता था वह अप्रार्थी हरीलाल देता था। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 का जवाब यह है कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपरोक्त परिसर को पुश्तैनी दर्शाया है एवं दूसरी तरफ चतुर्भुज का कब्जाशुदा होना बताया है चतुर्भुज ने कब कब्जा बनाया, कब नहीं बनाया, प्रार्थीगण द्वारा मकान अप्रार्थी हरीलाल की सहमति से निर्मित करवाये थे क्योंकि पुराने मकान में सबका एक साथ रहना संभव नहीं था। दरवाजे अप्रार्थी की गैर मौजुदगी में प्रार्थीगण ने खोले है जिसके संबंध में अपर जिला न्यायालय देसूरी में दरवाजे बंद करवाने का अनुतोष मांगा जा चुका है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि प्रार्थीगण के मकान काफी वर्षो पूर्व के बने है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार की ग्राम पंचायत के सरपंच तथा कर्मचारियों के साथ मिलावट कर कूटरचना नही की गई जबकि कूटरचना करने का कार्य प्रार्थीगण एवं उनके पिता चतुर्भुज द्वारा अवश्य किया गया है। शंकरलाल की मृत्यू के समय चतुर्भुज व हरीलाल दोनो ही नावालिग थे इस कारण कृषि भूमियों में हरीलाल का नाम छिपाकर चतुर्भुज का नाम दर्ज करवा दिया जबकि प्रथम सेटलमेंट के समय हरीलाल का निवास सिंदरली ही था। सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी नियुक्ति पाली जिले में कभी नहीं रही। इस कारण सरपंच अथवा ग्राम पंचायत के कर्मचारियों से मिलावट का प्रश्न नही उठता है। इसके विपरित चतुर्भुज का 36 कौमों पर ज्योतिषी की जानकारी के कारण अच्छा प्रभाव था एवं प्रार्थी ओमप्रकाश राजनेता होने से उसकी प्रशासन पर पकड एवं प्रभाव है। प्रार्थीगण का यह कथन सरासर गलत है कि अप्रार्थी का वादग्रस्त परिसर पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 230/2024
उनवान : मनरुपचंद व अन्य बनाम हरीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

पत्र का पद संख्या 9 का जवाब है कि प्रार्थीगण का यह कथन गलत है कि इनके पिता अशिक्षित व अनपढ हो एवं अप्रार्थी ही पढा लिखा हो एवं यह कथन भी गलत है कि समस्त दस्तावेज खेती की जमीन के कागजात, पट्टे, अप्रार्थी संख्या 01 के पास हो। वस्तुतः कृषि भूमियों में अप्रार्थी संख्या 01 नाम ही नहीं है तो उसके पास कागजात होने का कथन गलत साबित हो जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 के पास होते तो वर्षो पूर्व न्यायालय में चाराजोही कर सकता था। कृषि भूमि पुश्तैनी होने के बावजुद भी अप्रार्थी द्वारा सहायक कलेक्टर देसूरी में वाद पेश करना पड़ा जो विचाराधीन है। चतुर्भुज ने वादग्रस्त एवं पुश्तैनी मकान जो पुरानी आबादी के उसके पट्टे करने के लिए आवेदन पेश किये थे इस तथ्य को जानबुझकर छिपाया गया है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 10 का जवाब यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार की कूटरचना नही की है न ही प्रार्थीगण के अकेले का मालिकाना व कब्जाशुदा है। मकान जो बनाये गये है अप्रार्थी की अनुमति से बनाये गये है दरवाजे जो अप्रार्थी की गैरमौजुदगी में खोले गये है उसके संबंध में वाद अपर जिला न्यायालय देसूरी के न्यायालय में पेश किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 11 का जवाब है कि पत्रावली में जो इबारत लिखी है सचिव अथवा कर्मचारियों की है उसमें प्रार्थीगण के बजाय उसमें प्रार्थी लिखा है तो लिपिकीय त्रुटि है अपार्थी संख्या 01 द्वारा किसी प्रकार की कूटरचना नहीं की गई है। क्योंकि वह अधिकांशतया बाहर रहता है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 12 का जवाब है कि बिजली, पानी के कनेक्शन एक सुविधा मात्र है उससे किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व साबित नहीं होता है। एक ही परिसर में एक से अधिक कनेक्शन ले सकते है। दक्षिण दिशा की तरफ का आवागमन का रास्ता संयुक्त रुप से रखा गया था। अप्रार्थी आवागमन करता है एवं प्रार्थीगण के पिता ने प्रार्थीगण के मकान निर्मित करवाते समय अप्रार्थी को आश्वासन दिया कि जब भी अप्रार्थी मकान का निर्माण करवायेगा, इस गेट को हटा दिया जायेगा।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा विशेष आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त परिसर को पुश्तैनी बताया है दूसरी तरफ चतुर्भुज का कब्जाशुदा बताया है परन्तु स्पष्ट नहीं कि ने कब, किस वर्ष, चतुर्भुज ने कब्जा किया। अप्रार्थी संख्या 01 बाल्यकाल से ही सामलाती देखता आ रहा है। यह भी कि शंकरलाल की पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाने से उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। यह भी कि प्रार्थीगण द्वारा अपर जिला न्यायालय देसूरी के न्यायालय में वाद में जो जवाब दावा प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया है जो पुरानी आबादी में भांबियों का मौहल्ला के पास वराह माताजी मंदिर के पास पुश्तैनी परिसर का आधा हिस्सा अप्रार्थी हरीलाल का होना स्वीकार किया, दूसरी तरफ सम्पूर्ण परिसर का पट्टा प्रार्थीगण के नाम से बनाने का भी आवेदन ग्राम पंचायत सिन्दरली को किया गया, इसके साथ ही वादग्रस्त परिसर के संबंध में अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत सिन्दरली में प्रार्थना पत्र पेश कर हमारी पुश्तैनी सम्पतियों का किसी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ है एवं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायपालिका के माध्यम से परिवाद के माध्यम से इसका निस्तारण किया जायेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा अलग अलग न्यायालय में विरोधाभाषी कथन किये गये है जिससे प्रार्थीगण का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

मिसल संख्या 13/1972–73 का मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत से तलब कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से उभयपक्ष की बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड प्रार्थी के पिता स्व. चतुर्भुज का स्वयं के कब्जे एवं स्वामित्वाधीन सम्पति थी, जिसका स्व. चतुर्भुज जी द्वारा भूमि विक्रय विलेख जारी करने हेतु आवेदन ग्राम पंचायत सिन्दरली मे प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर मिसल संख्या 13/1972–73 कायम कर स्व. चतुर्भुज के पक्ष में पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया। किन्तु स्व. चतुर्भुज जी के छोटे भाई एवं अप्रार्थी संख्या एक श्री हरिलाल द्वारा कूटरचना कारित करते हुए कार्यवाही के प्रत्येक स्तर पर स्व. चतुर्भुजजी के साथ साथ स्वयं का नाम जोड़ दिया। यह कि, मिसल संख्या 13/1972–73 में प्रश्नगत भूखण्ड का भूमि विक्रय विलेख स्व. चतुर्भुज के नाम का निष्पादित हुआ था, जिसमें भी कूटरचना करते हुए अप्रार्थी संख्या एक द्वारा कूटरचना से स्वयं के नाम 1/2 हिस्सा अंकित कर दिया तथा उक्त भूमि विक्रय विलेख आज भी अप्रार्थी श्री हरीलाल के स्वामित्व में ही है। यह भी कि, जैर निगरानी भूखण्ड पर प्रार्थीगण अर्थात स्व.चतुर्भुज जी के तीनों पुत्रों के मकान निर्मित है और सम्पूर्ण भूखण्ड प्रार्थीगण के ही स्वामित्वाधीन है।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि मिसल संख्या 13/1972–73 की मूल पत्रावली में अप्रार्थी श्री हरीलाल द्वारा ही कूटरचना करते हुए एक अतिरिक्त निरीक्षण प्रपत्र एवं आपत्ति इश्तिहार संलग्न करवाया गया। बहस के अन्त में अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने निवेदन किया कि अप्रार्थी श्री हरीलाल द्वारा कूटरचना करते हुए स्व. चतुर्भुज जी के द्वारा प्रस्तुत पट्टा आवेदन पर कायम मिसल संख्या 13/1972–73 में प्रत्येक स्तर पर स्वयं का नाम जोड़कर एवं प्रार्थीगण के पिता के स्वामित्व के भूखण्ड के पट्टे में स्वयं का आधा हिस्सा अंकित करने के कारण आलोच्य पट्टे में से अप्रार्थी का नाम हटाकर पुनः प्रार्थीगण के पक्ष में पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत को निर्देशित करावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रश्नगत भूखण्ड अप्रार्थी एवं प्रार्थीगण के पिता का संयुक्त स्वामित्व का पुश्तैनी भूखण्ड है एवं आधे हिस्से पर आज भी अप्रार्थी का ही कब्जा है। यह भी, कि अप्रार्थी पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

मिसल से छेड़छाड एवं कूटरचना के आरोप आधारहीन है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थीपक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए है। अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी जाहिर किया कि प्रार्थीगण के पिता स्व. चतुर्भुज जी ने अपने जीवनकाल में इस भूमि विक्रय विलेख में अप्रार्थी के आधे हिस्से को किसी न्यायालय में कभी चुनौति प्रस्तुत नहीं की तथा यह भी जाहिर किया कि ज़ैर निगरानी प्रश्नगत भूखण्ड के विभाजन हेतु अप्रार्थी द्वारा श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश देसूरी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो ज़ैर ट्रायल होकर न्यायालय द्वारा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु प्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है। बहस के अन्त में अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने निगरानी को सारहीन बताते हुए खारिज करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व मिसल संख्या 13/1972–73 का ग्राम पंचायत सिन्दरली द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया गया।

सर्वप्रथम इस प्रश्न का निर्धारण किया जाना है कि प्रार्थीगण हस्तगत निगरानी प्रस्तुत करने हेतु 'हितबद्ध व्यक्ति' अर्थात 'प्रभावित पक्षकार' है अथवा नहीं।

प्रार्थीगण ने ज़ैर निगरानी भूखण्ड पर तीनों भाईयों के पृथक पृथक रहवासी मकान निर्मित होने का कथन किया है। अप्रार्थी ने भी अपने जवाबपत्र में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण के मकान निर्मित है किन्तु उक्त निर्माण अप्रार्थी द्वारा आधे हिस्से की अनुमति प्रदान करने के उपरांत ही करवाये गए है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड के एक हिस्से पर प्रार्थीगण का रहवासी कब्जा होने से उन्हें 'हितबद्ध पक्षकार' मानते हुए निगरानी प्रस्तुत करने के उनके अधिकार को स्वीकार किया जाता है।

विचाराधीन पंचायत निगरानी को निर्णीत करने से पूर्व निम्नलिखित मूलभूत प्रश्नों का निर्धारण किया जाना आवश्यक है:–

1. क्या ज़ैर निगरानी पट्टे से संबंधित भूखण्ड प्रार्थीगण के पिता स्व. चतुर्भुज गर्ग की निजी स्वामित्व की सम्पति है अथवा अप्रार्थी श्री हरीलाल एवं चतुर्भुज की संयुक्त पुश्तैनी भूमि?
2. क्या अप्रार्थी श्री हरीलाल द्वारा कूटरचना करते हुए मिसल संख्या 13/1972–73 में कार्यवाही करते हुए प्रत्येक स्तर पर एवं पट्टे में विधि विरुद्ध ढंग से स्वयं का नाम अंकित किया गया अथवा नहीं ?

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

3. क्या मिसल संख्या 13/1972–73 में तत्समय प्रवत 'राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के प्रावधानों तथा प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षाओं की पालना की गई है अथवा नहीं ?

उपरोक्त तीनों प्रश्नों का विश्लेषण एवं अभिनिर्धारण निम्नानुसार है:–

1. प्रार्थीगण ने ज़ैर निगरानी प्रश्नगत भूखण्ड को अपने पिता स्व. चतुर्भुज की निजी सम्पति बताया है, जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाबपत्र में इसे दोनों भाईयों की संयुक्त स्वामित्व की पुश्तैनी भूमि बताकर ज़ैर निगरानी आलोच्य संयुक्त पट्टे को विधि सम्मत होने का कथन किया है।

   इस संबंध में यह उल्लेख करना समीचीन है कि दोनों ही पक्षकारों ने निगरानीपत्र, जवाब निगरानी तथा बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूखण्ड के पुश्तैनी अथवा निजी स्वामित्व होने संबंधी उनके परस्पर दावों की पुष्टि कर सकें।

   यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश देसूरी में अप्रार्थी द्वारा इसी भूखण्ड के विभाजन एवं निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत किया है, जो प्रकरण संख्या 06/2022 के रुप में दर्ज होकर ज़ैर ट्रायल विचाराधीन है। वादपत्र की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली है। प्रश्नगत भूखण्ड के पुश्तैनी होने अथवा न होने तथा विभाजन के प्रश्न का साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर उपरोक्त सिविल न्यायालय ही निर्धारण कर सकता है।

2. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत पुनरीक्षण याचिका में अप्रार्थी श्री हरीलाल के विरुद्ध यह कथन किया गया है कि ज़ैर निगरानी भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु उनके पिता स्व. चतुर्भुज जी द्वारा ही आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मिसल संख्या 13/1972–73 कायम कर ग्राम पंचायत सिन्दरली द्वारा स्व. चतुर्भुज जी के पक्ष में प्रश्नगत भूखण्ड का भूमि विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था। किन्तु, अप्रार्थी द्वारा कूटरचना करते हुए कार्यवाही के प्रत्येक स्तर पर स्वर्गीय चतुर्भुज जी के साथ साथ स्वयं का नाम जोड़ते हुए उक्त भूमि विक्रय विलेख में भी स्वयं का आधा हिस्सा होने का अंकन कर दिया।

   अप्रार्थी संख्या एक ने अपने जवाबपत्र में उपरोक्त आरोप का खण्डन करते हुए कथन किया कि पट्टे की कार्यवाही अप्रार्थी की गैर मौजुदगी में चतुर्भूज द्वारा ही की गई थी एवं उन्होंने ही प्रार्थनापत्र में स्वयं के साथ अप्रार्थी अर्थात हरीलाल का नाम अंकित करवाया था एवं अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कूटरचना अथवा धोखाधडी कारित नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा जवाबपत्र के पद संख्या छह में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

भी अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा सही तथ्यों को छिपाया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी एवं चतुर्भूज जी के नाम से संयुक्त पत्रावली जो पेश की गई उसमें दोनों के नाम दर्ज थे एवं विधिवत रुप से कार्यवाही करने के बाद **पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.1973** को चतुर्भुज एवं हरीलाल के नाम जारी किया गया।

अप्रार्थी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत प्रमाणित प्रतियों से ज़ाहिर होता है कि ज़ैर निगरानी भूखण्ड के संबंध में विभाजन एवं निषेधाज्ञा का एक दावा उनके द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश देसूरी में प्रस्तुत किया गया है, जो दिवानी मूल वाद प्र.स. 06/2022 के रुप में दर्ज होकर विचाराधीन है। उक्त दीवानी मूल वाद के साथ अप्रार्थी द्वारा उक्त न्यायालय में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र दीवानी विविध प्रकरण संख्या 05/2022 बउनवान हरीलाल बनाम मनरुपचंद इत्यादि में निर्णय दिनांक 20.12.2004 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त निर्णय दिनांक 20.12.2024 के पद संख्या 09 में माननीय न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई है (प्रमाणित प्रति सलंग्न) कि

"..... पट्टे की कूटरचना बाबत तथ्य मूल वाद में बाद साक्ष्य तय किया जाना है। इसी प्रकार वादग्रस्त परिसर अकेले विप्रार्थी संख्या एक से पांच के पिता चतुर्भुज के अकेले स्वामित्व का होने बाबत् विप्रार्थीगण की ओर से व्यक्त की गई आपत्ति का प्रश्न है तो उक्त आपत्ति भी मूल वाद में साक्ष्य का विषय है जिसके संबंध में मूलवाद में उभयपक्ष की साक्ष्य के पश्चात ही किसी प्रकार का अन्तिम मत व्यक्त किया जा सकता है।"

स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में पुश्तैनी सम्पति तथा कूटरचना के प्रश्न न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश देसूरी के समक्ष विचाराधीन दीवानी मूल वाद प्रकरण संख्या 06/2022 बउनवान हीरलाल बनाम मनरुपचंद आदि में अन्तर्निहित है जिनका साक्ष्यों व साक्षियों के बयानों आदि के आधार पर उपरोक्त सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्णयन किया जा सकता है। **माननीय न्यायालय ए.डी. जे. देसूरी द्वारा उपरोक्त दीवानी वाद संख्या 06/2022 के निर्णय से पूर्व वादग्रस्त भूखण्ड के पुश्तैनी होने अथवा नहीं तथा मिसल संख्या 13/1972–73 में कूटरचना जैसे बिन्दुओं पर इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की निष्कर्षात्मक टिप्पणी करना न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त के प्रतिकुल होगा।**

अतः न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है कि न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश देसूरी द्वारा दीवानी मूल वाद प्रकरण संख्या 06/2022 के अन्तिम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 230/2024
उनवान : मनरुपचंद व अन्य बनाम हरीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

निस्तारण से पूर्व उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर अन्तिम मत व्यक्त करना न्यायसंगत नहीं है।

3. राजस्थान पंचायतीराज नियमों के अन्तर्गत इस न्यायालय को प्रदत्त पुनरीक्षण के अधिकारों के अंतर्गत किसी पंचायतीराज संस्था के आज्ञा, संकल्प या निर्णय का पुनरावलोकन कर यह निर्धारण करना अपेक्षित है कि ऐसी आज्ञा, संकल्प या निर्णय से पूर्व प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षाओं (Procedural Pre- requisites) की पालना की गई है अथवा नहीं।

विचाराधीन निगरानी में ग्राम पंचायत सिन्दरली द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में मिसल संख्या 13/1972–73 के अन्तर्गत स्व. चतुर्भुज तथा अप्रार्थी हरीलाल के नाम संयुक्त रुप से जारी भूमि विक्रय विलेख को चुनौति दी गई है। अप्रार्थी ने अपने जवाबपत्र में उक्त भूमि विक्रय विलेख को जारी होना स्वीकार किया है तथा जवाबपत्र के पद संख्या छह में इसका उल्लेख करते हुए **पट्टा क्रमांक 74 दिनांक 17.01.1973** अंकित किया है। अप्रार्थी ने जवाबपत्र के पद संख्या तीन में उक्त पट्टा स्वयं चतुर्भुज जी द्वारा अप्रार्थी को सुपुर्द करना स्वीकार किया है अर्थात अप्रार्थी के लिखित कथनानुसार ज़ैर निगरानी आलोच्य पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.1973 अप्रार्थी श्री हरीलाल के स्वामित्व में है।

पूर्वोक्त तृतीय एवं अन्तिम प्रश्न कि क्या आलोच्य पट्टा जारी करने में तत्समय प्रवृत्त राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के प्रावधानों तथा प्रक्रियात्मक पूर्वापेक्षाओं की पालना की गई है, के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत सिन्दरली से तलब मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

मिसल संख्या 13/1972–73 में सलंग्न आज्ञाओं की सूची में आदेशिका दिनांक 30.04.1972 के द्वारा राशि 161 रुपये का शुकराना लेकर नियम 266 के अन्तर्गत भूमि विक्रय विलेख जारी करने का अन्तिम विनिश्चय किया गया। पट्टे की मूल प्रति मिसल संख्या 13/1972–73 में सलंग्न नहीं है, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रति में संकल्प संख्या 01 दिनांक 30.04.1972 के अनुसरण में उक्त भूमि विक्रय विलेख संख्या 74 दिनांक 17.01.1973 को जारी होना अंकित है। अप्रार्थी द्वारा भी अपने जवाबपत्र में भूमि विक्रय विलेख के उक्त विवरण को स्वीकार किया है।

मिसल संख्या 13/1972–73 के मूल रिकॉर्ड के अवलोकन उपरान्त निम्नलिखित तथ्यात्मक बिन्दु उल्लेखनीय हैः–

1. मूल मिसल में दिनांक 01.04.1972 को पूर्व नियम, 1961 के नियम 260 के अन्तर्गत आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया गया। मिसल में दो आपत्ति इश्तिहार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 230/2024
उनवान : मनरुपचंद व अन्य बनाम हरीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

सलंग्न है, जिनमें एक अहस्ताक्षरित तथा दूसरा सरपंच द्वारा हस्ताक्षरित आपत्ति इश्तिहार है, उक्त दोनों आपत्ति इश्तिहारों में जारी होने की तिथि 03.08.1972 है। महत्वपूर्ण है कि उक्त तिथि 03.08.1972 से पूर्व ही दिनांक 30.04.1972 की आदेशिका द्वारा भूमि विक्रय विलेख जारी करने का अन्तिम विनिश्चय किया जा चुका था। अन्तिम निर्णय के बाद की तिथी अंकित होने से नियम 260 के अन्तर्गत मिसल 13/1972–73 में जारी उक्त आपत्ति इश्तिहार की प्रमाणिकता संदिग्ध है।

2. मिसल 13/72–73 में आदेशिका दिनांक 30.03.1972 द्वारा मिसल दर्ज करने की आज्ञा अंकित है। मूल रिकॉर्ड के साथ प्रेषित पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण बअवधि 26.07.1971 से 15.06.1972 में बैठक दिनांक 30.03.1972 के कार्यवाही विवरण में उक्त मिसल संख्या 13 चतुर्भुज गर्ग सिन्दरली के नाम से अंकित है। **यदि पंचायत की बैठक दिनांक 30.03.1972 में मिसल संख्या 13/72–73 चतुर्भज गर्ग के नाम से अंकित है, तो प्रश्नगत भूमि विक्रय विलेख में अप्रार्थी हरीलाल का नाम श्री चतुर्भुज के साथ किस आधार पर जोड़ा गया, इसका कोई स्पष्ट कारण अथवा पंचायत की ऐसी कोई अनुमति ग्राम पंचायत की किसी भी बैठक कार्यवाही में अंकित होना नहीं पाया गया।**

3. मिसल 13/72–73 में आपत्ति इश्तिहार जारी करने की आज्ञा दिनांक 01.04.1972 को दी गई। किन्तु बैठक कार्यवाही विवरण में बैठक दिनांक 05.04.1972 को आपत्ति इश्तिहार जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिये जाने का अंकन है। साथ ही, सलंग्न दोनो आपत्ति इश्तिहार पर दिनांक 03.08.1972 अंकित है। इस प्रकार नियम 260 के अन्तर्गत जारी आपत्ति इश्तिहार जारी होने की परस्पर विरोधी तिथियों के कारण मिसल 13/72–73 की सम्पूर्ण कार्यवाही संदिग्ध प्रतीत होती है।

4. प्रश्नगत भूमि विक्रय विलेख संख्या 74 दिनांक 17.01.1973 में पंचायत संकल्प संख्या 01 दिनांक 30.04.1972 का अंकन है जिसके अनुसरण में उक्त विलेख जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सिन्दरली द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड के सलंग्न बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दिनांक 30.04.1972 को पंचायत की कोई बैठक एवं कार्यवाही विवरण अंकित ही नहीं है। उक्त रजिस्टर में दर्ज विवरण अनुसार दिनांक 05.04.1972 की बैठक के बाद आगामी बैठक दिनांक 06.05.1972 को आयोजित की गई।

प्रश्नगत विक्रय विलेख में अंकित दिनांक 30.04.1972 ग्राम पंचायत सिन्दरली द्वारा कोई बैठक ही आयोजित नहीं की गई। अर्थात जिस संकल्प संख्या 01 दिनांक 30.04.1972 के अनुसरण में उक्त पट्टा जारी होना अंकित है, उक्त संकल्प एवं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 230/2024
उनवान : मनरुपचंद व अन्य बनाम हरीलाल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

बैठक पूर्णतः काल्पनिक है। इस प्रकार सर्वानुमति से जारी किसी संकल्प के अभाव में आलोच्य पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.1973 अवैध एवं शून्यकरणीय पाया जाता है।

संक्षेप में, ज़ैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेख तत्समय प्रवृत्त राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के आज्ञापक प्रावधानों तथा विहित प्रक्रिया की पालना में जारी किया जाना नहीं पाया जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पंचायत पुनरीक्षण याचिका आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत सिन्दरली द्वारा मिसल संख्या 13/72–73 में श्री चतुर्भुज एवं हरीलाल गर्ग के पक्ष में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख संख्या 74 दिनांक 17.01.1973 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत को पुनप्रेषित करते हुए निर्देश दिए जाते है कि न्यायालय श्रीमान अपर जिलाधीश देसूरी में लम्बित मूल दीवानी वाद प्रकरण संख्या 06/2022 के अन्तिम निस्तारण उपरांत न्यायालय के निर्णय अनुरुप ही प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में पट्टे की पुनः कार्यवाही सम्पादित करें।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिन्दरली को यह भी निर्देश दिएं जाते है कि अप्रार्थी श्री हरीलाल से ज़ैर निगरानी पट्टा संख्या 74 दिनांक 17.01.1973 की मूल प्रति प्राप्त कर उस पर एवं मिसल 13/72–73 के सरवरक पर लाल स्याही से बड़े अक्षरों में 'निरस्त' का अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली
बाली
दिनांक

क्रमांक/कोर्ट/2025/
प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:–
1. विकास अधिकारी पंचायत समिति देसूरी
2. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सिन्दरली पंचायत समिति देसूरी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner